26/9/25 पत्रावली पेश हुई। बार संघ [illegible] न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/अन्य प्रशासनिक कार्य भ्रमण/अवकाश के कारण पत्रावली दिनांक 25/9/25 को पेश हो।
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते आपत्ति अप्रार्थी दिनांक 7.10.25 को पेश हो।

7.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी दिनांक 16.10.25 को पेश हो।

16.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी एवं आदेश दिनांक 27-10-2025 को पेश हो।

27.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी व सरकार पैरोकार उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे सिद्ध होता हो कि सुरेश व कल्याण प्रसाद एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज अस्वीकार कर खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

No objection
पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 158/19
उनवान :– कल्याण प्रसाद बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 43/23
दायर दिनाँक :– 18.01.2023
निर्णय दिनाँक:– 27.10.2025

उनवान :– बनवारीलाल
बनाम
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाशचन्द वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी कल्याण प्रसाद पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी बडगॉव तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम मनोहरथाना तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 255 (पुराना 214) की कुल किता 03 की 2.1772 हेक्टेयर शामलाती आराजी के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "सुरेश (नावा0) " दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वर्तमान में प्रार्थी बालिग हो चुका है तथा वास्तव में प्रार्थी का नाम " कल्याण प्रसाद पिता मांगीलाल " है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, मूल निवास आदि दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम मनोहरथाना की उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम "सुरेश" के स्थान पर " कल्याणप्रसाद " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 158/19
उनवान :– कल्याण प्रसाद बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। उक्त कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि **"सुरेश" व " कल्याणप्रसाद "** एक ही व्यक्ति है। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मनोहरथाना की उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम **नामा0 संख्या 1385 बेचान दिनांक 09.07.2024** में **नाबा0 सुरेश पुत्र मांगीलाल रिकॉर्ड** में दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आये है तथा तथ्यों को छुपाकर एवं गुमराह कर अपना नाम परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष लाए है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना